भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3074

दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 / 26 अग्रहायण,1937 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इंडिया में आरक्षण की नीति

3074. डॉ. उदित राज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा वरिष्ठ प्रशिक्षु पायलटों की भर्ती में एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु आरक्षण नीति का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ा) क्या एयर इंडिया द्वारा जारी विज्ञापन में ऐसे कोई परीक्षण का उल्लेख न होने के बावजूद भी उक्त चयन प्रक्रिया में पायलटों हेतु साइकोमेट्रिक परीक्षण शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ महेश शर्मा)

(क) और (ख): जी नहीं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य एवं पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबन्धित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रशिक्षु पायलट के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया की गई थी।

(ग) और (घ): वरिष्ठ प्रशिक्षु पायलट के लिए उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया में अलग से कोई साइकोमेट्रिक परीक्षण नहीं किया गया था। तथापि, वैश्विक विमानन के क्षेत्र में बदलते परिदृश्य और मलेशियन विमान के लापता होने एवं जर्मन विमान की अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना जैसी हालिया त्रासदियों के चलते प्रत्येक एयरलाइन न केवल नए भर्ती किए गए पदधारियों बल्कि मौजूदा पायलटों के लिए भी मनोवैज्ञानिक/व्यवहार परक पहलुओं के परीक्षण हेतु आग्रह कर रहे हैं। तदनुसार, भारतीय वायु सेना से एक मनोवैज्ञानिक, जिन्हें मनोवैज्ञानिक/व्यवहार परक पहलुओं के क्षेत्र में महारत हासिल है, को उनके मनोवैज्ञानिक/व्यवहार परक पहलुओं आदि के संबंध में इस पद के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के विनिर्णय से संबन्धित चयन बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया गया था।

*****